

अग्निशमन विभाग नगर निगम अजमेर



क्रमांक : अग्नि/2018/268

दिनांक 21/2/2018

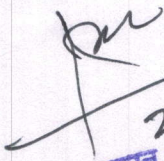
निमित्त :-

R.S. INFRASTRUCTURE
OFFICE No.1 "AARADHYA",
308B 1 ST FLOOR, Chungi Chowki
Shastri Nagar, Ajmer.

विषय :- अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है R.S. INFRASTRUCTURE OFFICE No.1 "AARADHYA", 308B 1 ST FLOOR, Chungi Chowki Shastri Nagar, Ajmer द्वारा विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर खसरा नं. 183, 317, 318 ग्राम लोहागल जिला अजमेर की भूमि पर होटल/मॉल/फ्लैट/फैक्ट्री/सिनेमा निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया, अतः R.S. INFRASTRUCTURE OFFICE No.1 "AARADHYA", 308B 1 ST FLOOR, Chungi Chowki Shastri Nagar, Ajmer खसरा नं. 183, 317, 318 ग्राम लोहागल जिला अजमेर की भूमि पर होटल/मॉल/फ्लैट/फैक्ट्री/सिनेमा निर्माण संलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने पर अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण/रीको/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/राजस्थान मण्डल द्वारा स्वीकृति मानचित्रानुसार करना होगा।
2. नेशनल बिल्डिंग कोड, भाग - 4 के अनुसार आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. आवेदक R.S. INFRASTRUCTURE जिला अजमेर मंजिल योजनानुसार ऊँचाई की फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शायी गयी मान्य होगी।


21/2/18
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, अजमेर

4. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहन के प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु चारों तरफ घुमने व कार्य करने के लिये पर्याप्त खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं माडेल राजस्थान भवन विनियम 2013 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 9.12 के (ग) की पालना की जावे।
5. अस्थाई अग्निशमन अभिशंसा के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण/विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण विभाग से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इस भवन का उपयोग किया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड का मालिक/आवेदक व अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. भवन में धुआँ निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
8. भवन में अग्निशमन हेतु पानी की समूचित व्यवस्था/भण्डारण करना आवश्यक होगा।
9. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिये मान्य होगी। उक्त अवधि में आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी। अवधि में कार्य पुरा नहीं होने पर उक्त की अवधि समय पर बढ़वानी होगी।


21/2/18
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम अजमेर